न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —06/2021(2021/23)

अनवान : —

विरेन्द्र कुमार बिजारणियां पुत्र दरियासिंह जाति जाति जाट निवासी सरदारपुराबास हाल निवासी वार्ड नं. 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ जरिये मुख्त्यार नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण जाति जाट वार्ड न. 3 भादरा त. भादरा —**प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। — **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—श्री योगेश शर्मा **प्रार्थी**
पेरोकार राज **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 27/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 20 ए एम एस के खाता संख्या 27/51 के मु.न. 64 की 2.2770 है. एवं 4 बारानी के खाता संख्या 30/31 के मु.न. 86 की 1.7710 है. में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार दर्ज है एवं चक 9 एस डी आर के खाता संख्या 30/31 के मु.नं. 65, 66, 75, 76 की कुल 2.5300 है. में प्रार्थी का विरेन्द्र नाम दर्ज है एवं चक 1 बी एच पी के खाता संख्या 38/38 के मु.न. 59 की 3. 7130 है. में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार दर्ज है एवं चक 5 बी एच पी के खाता सं. 35/24 के मु.न. 19 की 2.8720 है. में प्रार्थी के नाम कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह वल्द दरियासिंह दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम विरेन्द्र कुमार बीजाणियां वल्द दरियासिंह है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, दस्तावेज विरेन्द्र कुमार बीजाणियां नाम से ही है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम विरेन्द्र कुमार बीजाणियां पुत्र दरियासिंह ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह वल्द दरियासिंह की जगह विरेन्द्र कुमार बीजाणियां वल्द दरियासिंह करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पैरोकार ... ने जबाबदावा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई ... अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार ... कारण स्वीकार किये ... का निवेदन किया। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ... इस पर मनन किया ... ली पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद वार्ड न. 3 व शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हस्तगत प्रार्थना पत्र रोही मौजा रोही मौजा चक 20 ए एम एस के खाता संख्या 27/51 के मु.न. 64 की 2.2770 है. एवं 4 बारानी के खाता संख्या 30/31 के मु.न. 86 की 1.7710 है. में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार दर्ज है एवं चक 9 एस डी आर के खाता संख्या 30/31 के मु.नं. 65, 66, 75, 76 की कुल 2.5300 है. में प्रार्थी का विरेन्द्र नाम दर्ज है एवं चक 1 बी एच पी के खाता संख्या 38/38 के मु.न. 59 की 3.7130 है. में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार दर्ज है एवं चक 5 बी एच पी के खाता सं. 35/24 के मु.न. 19 की 2.8720 है. कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय संवहन से विरेन्द्र कुमार बीजाणियां की जगह विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह पुत्र दरियासिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम विरेन्द्र कुमार बीजाणियां पुत्र दरियासिंह है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो विरेन्द्र कुमार बीजाणियां पुत्र दरियासिंह नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 20 ए एम एस के खाता संख्या 27/51 के मु.न. 64 की 2.2770 है. एवं 4 बारानी के खाता संख्या 30/31 के मु.न. 86 की 1.7710 है. में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार दर्ज है एवं चक 9 एस डी आर के खाता संख्या 30/31 के मु.नं. 65, 66, 75, 76 की कुल 2.5300 है. में प्रार्थी का विरेन्द्र नाम दर्ज है एवं चक 1 बी एच पी के खाता संख्या 38/38 के मु.न. 59 की 3.7130 है. में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार दर्ज है एवं चक 5 बी एच पी के खाता सं. 35/24 के मु.न. 19 की 2.8720 है. में विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। उसमें प्रार्थी का सही नाम **विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह पुत्र दरियासिंह की जगह विरेन्द्र कुमार बीजारणियां पुत्र दरियासिंह** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी विरेन्द्र कुमार/विरेन्द्र/विरेन्द्रसिंह नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छिपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ